डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास **श्रीमान नेमा राम R.A.S.**

दावा बाबत 88,**53,188 आर टी एक्ट**

राजस्व मूल वाद संख्या **10/2014**

बनाम

वादीगण

1. श्रवणलाल पुत्र मंगलाराम जाति सरगरा निवासी मेघवालो का बास पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2. कानाराम पुत्र सुखाराम जाति सांसी निवासी सांसियो का बास बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रतिवादीगण

1. सुखराम पुत्र तुलछाराम
2. घवरीदेवी पत्नि तुलछाराम (फौत) के कायम मुकाम
   2/1 रामुराम पुत्र तुलछाराम
   2/2 गणपतराम पुत्र तुलछाराम
   2/3 पुखराज पुत्र तुलछाराम
   एवं प्रतिवादी सं. एक व तीन
3. भंवरीदेवी पुत्री तुलछाराम
4. गजराईदेवी पत्नि शेषाराम
5. नरेन्द्र पुत्र शेंषाराम
6. मनीष पुत्र शेंषाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता गजराई देवी पत्नि शेंषाराम
7. अविनाश पुत्र चम्पालाल
8. ललित पुत्र चम्पालाल
9. पवन पुत्र चम्पालाल
10. राजेन्द्र पुत्र चम्पालाल
11. जितेन्द्र पुत्र चम्पालाल
12. मुन्नालाल पुत्र चम्पालाल नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता भंवरीदेवी पत्नि चम्पालाल
13. भंवरीदेवी पत्नि चम्पालाल
14. धोकलराम पुत्र घेंवरराम फौत के कायम मुकाम –
    14/1 राजकुमार पुत्र धोकलराम
    14/2 संतोष पुत्र धोकलराम
    14/3 मुनी पुत्री धोकलराम
    14/4 अनु पुत्री धोकलराम
    14/5 शारदा पत्नि धोकलराम
    जाति मेघवाल निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल निवास गली नं. 4 बी, प्लोट नं. 170 मोहन नगर ए, बीजेएस कोलानी जोधपुर जिला जोधपुर।
15. सोहनलाल पुत्र घेंवरराम फौत के कायम मुकाम –
    15/1 शांति पत्नि सोहनलाल
    15/2 अनिल पुत्र सोहनलाल
    15/3 सरोज पुत्री सोहनलाल

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड ...
9/8/12

15/4 शर्मीला पुत्री सोहनलाल
16. बद्रीनारायण पुत्र घेंवरराम
17. रमादेवी पत्नि घेंवरराम (फौत)
सभी जातियान मेघवाल निवासी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
18. सरकार जरिये तहसीलदार
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **ओमप्रकाश कच्छावाह** मनजानिव मुदई वकील प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से **राजेन्द्र देवड़ा,** प्रतिवादी सं. 4 से 17 की ओर से **श्री फारूख मोहम्मद खान,** प्रतिवादी सं. 18 सरकारी पैरोकार मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्राथमिक डिकी की पालना में मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 29.07.2025 पेश किया । जो शामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओ को सुना गया । वादीगण अधिवक्ता को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव को सही होना बताया एवं विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार होना बताया । प्रतिवादी अधिवक्ता 4 से 17 ने आपति की कि प्रतिवादी सं. 4 से 17 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 व वादीगण को जरीये स्थाई निशेधाज्ञा के रोका जावें । उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई लिखित में आपति पेश नही की हैं। जहां तक प्रतिवादी सं. 4 से 17 के काउन्टर वाद का प्रश्न हैं निर्णय दिनांक 18.07.2025 में न्यायालय हाजा द्वारा तनकीवार विवेचन कर रखा हैं। तनकी सं. 1, 2, 3, 4, वादीगण के पक्ष में निर्णित हुई हैं। तनकी सं. 5, 6, 7, 8, 9, तनकी प्रतिवादी सं. 4 से 17 के विरूद्ध निर्णित हुई है इसलिए प्रतिवादी सं. 4 से 17 का काउन्टर वाद खारिज किया जाता हैं। प्राथमिक डिकी दिनांक 18.07.2025 की पालना में तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 29.07.2025 के अनुसार वादीगण का वाद बाबत् बंटवाड़ा की अन्तिम डिकी जारी की जाती हैं। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 29.07.2025 अन्तिम डिकी का अभिन्न अंग माना जायेगा। उक्त प्रस्तावित विभाजन अनुसार तहसीलदार पीपाड़ शहर वादीगण के बंट में आयी हुई भूमि अलग से नक्शे में /ऑनलाईन तरमीम करने हेतु आदेशित किया जाता हैं। वादीगण के बंट में आयी भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलन्दाजी उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की स्थाई निशेधाज्ञा की डिकी जारी हो । उक्तानुसार अन्तिम डिकी पर्चा अलग से जारी किया जाता हैं।**

तीज ....शून्य ....मुवलिक ....शून्य............ बाबत ....शून्य............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद..............................शून्य..................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..............शून्य...................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.06.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.........
ओहदा............... 1/9/8/25

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान..........			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान........		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

19/8/2

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)